UPBJ010019472026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव) (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06041

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 552/2026

चन्द्रपाल सिंह आदि **बनाम** उ0प्र0 सरकार

दिनाँक 11–03–2026

आदेश

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा संलग्न प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **चन्द्रपाल सिंह** पुत्र कल्याण सिंह, **कल्याण सिंह** पुत्र मुरली सिंह, **मुन्नी देवी** पत्नी कल्याण सिंह, **ब्रजेश** पुत्र कल्याण सिंह, **सतपाल** पुत्र हुकम सिंह एवं **रेखा देवी** पत्नी सतपाल सिंह, की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 38/2025, धारा– 85, 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना महिला थाना बिजनौर, जिला बिजनौर में अग्रिम जमानत हेतु इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें उपरोक्त मामले में गलत रूप से फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट छः माह बाद लिखायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कथित अपराध में सभी धाराएं मजिस्ट्रेट ट्रायल व सात साल से कम सजा का प्रावधान है। प्रार्थीगण थाने से धारा 41क के नोटिस पर जमानत पर हैं। प्रार्थीगण को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः याचना की गयी है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण उपरोक्त पर वादिनी मुकदमा रूकमणी उर्फ रूपाली को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं दहेज में दो लाख रुपये नकद की मांग करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है।

उपरोक्त मामला पति–पत्नी के विवाद से सम्बन्धित है। प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्रपाल सिंह वादिनी मुकदमा का पति, प्रार्थी/अभियुक्त कल्याण सिंह वादिनी का ससुर, प्रार्थिनी/अभियुक्ता मुन्ने देवी वादिनी की सास, प्रार्थी/अभियुक्त ब्रजेश वादिनी का देवर, प्रार्थी/अभियुक्त सतपाल वादिनी का बहनोई एवं प्रार्थिनी/अभियुक्ता रेखा देवी वादिनी की ननद होना बताये गये हैं।

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.03.11 17:12:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारपीट के सम्बन्ध में कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं कथित अपराध सात साल से कम की सजा से दण्डनीय है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सैन्ट्रल ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्तगण आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध करायेंगे।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4– अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, बयान धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि आवेदकगण–अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित न्यायालय अभियुक्तगण को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

दिनाँक 11–03–2026

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।